

# अपर समाहर्ता का न्यायालय, दुमका ।

आर०एम०आर वाद सं० 29/11-12

सिरोमनी महतो.....आवेदक

बनाम

रोबिन महतो.....विपक्षी


।।आदेश।।


22/11/17  
आवेदक की अभिरूचि नहीं है /  
विपक्षी की अभिरूचि है /

आवेदक पर निर्गत नोटिस का तामिला प्राप्त ।  
नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी आवेदक आज पुनः  
न्यायालय में उपस्थित नहीं है । अभिलेख के अवलोकन  
से प्रतीत होता है कि आवेदक पूर्व में भी कई तिथियों  
से न्यायालय में बिना कारण बताए अनुपस्थित है, इससे  
स्पष्ट होता है कि आवेदक को इस वाद में कोई  
अभिरूचि नहीं है ।

अतः आवेदक के अभिरूचि के अभाव को देखते  
हुए वाद की कार्रवाई बिना विचारण के समाप्त किया  
जाता है ।

लेखापित

  
अपर समाहर्ता,  
दुमका ।

  
अपर समाहर्ता,  
दुमका ।